

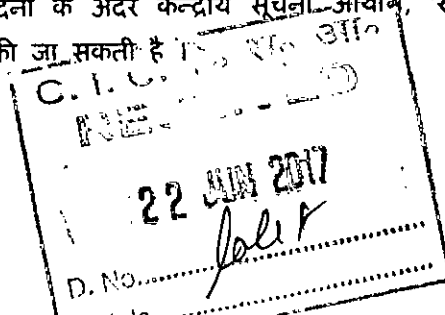
केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/196
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00189
CICOM/A/2017/00535
अपीलकर्ता : श्री जगमोहन अरोड़ा,
14 न्यू लायल पुर एक्स.
दिल्ली - 110051.
निर्णय की तारीख : 21.06.2017

दिनांक: 21.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.एस.रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141021/14.06.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

22/06/17